उत्तराखण्ड वन विकास निगम

(शिविर कार्यालय प्रबन्ध निदेशक)

अरण्य विकास भवन, 73–नेहरू रोड, देहरादून, दूरभाष :–0135–2657610, फैक्स :–0135–2655488

पत्रांकः वि0 5688 /16–32/विपणन आदेश दिनांकः 17 दिसम्बर 2016

स्थायी आदेश

वन विभाग द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र की वृक्ष लाटो के अतिरिक्त विकास कार्य, जानमाल, अन्य संस्थाओं, निजी भू–स्वामियों के वृक्ष समय–समय पर निस्तारण व बिक्री के आशय से उत्तराखण्ड वन विकास निगम को प्राप्त होते रहते हैं। ये वृक्ष अधिकांशतया विशिष्ट, दूरस्थ एवं विषम भौगोलिक परिस्थितियों में स्थित होते हैं या फिर ऐसी दुरूह स्थिति में होते हैं जहाँ से इनका विदोहन करना वन निगम के लिए हानि–प्रद होता है। अन्य विभागों के परिसरों में स्थित वृक्षों के निस्तारण हेतु उत्तर प्रदेश वन निगम लखनऊ की पत्र सं0 (1) M –4506/नीलाम प्रक्रिया दि0 08–08–2000 (2) M-7635 /नीलाम प्रकिया दि0 03–11–2000 (3) M-7636 /नीलाम प्रकिया दि0 03–11–2000 (4) P-7129 /लौगिंग दि0 17–10–2000 (5) M –258/खड़े वृक्ष/दि0 29–11–2000 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गई है जो प्रचलन में है अन्य सरकारी विभागों, जानमाल, रोड साईड, खतरनाक वृक्षों के निस्तारण के सम्बन्ध में उ0व0वि0नि0 के मुख्यालय स्तर से पत्र सं0 (i) N –312/लौगिंग जनरल दि0 21–04–2010 (ii) N –259/लौगिंग जनरल दि0 10–04–2013(ii) A –7421/लौगिंग जनरल दि0 26–02–2016 द्वारा निर्देश प्रदत्त है। खड़े वृक्ष सार्वजनिक नीलाम प्रक्रिया निर्धारण हेतु मुख्यालय पत्रांक वि0 2519/16–32/ खड़े वृक्ष नीलाम दि0 21–07–2016 के द्वारा अधिनस्थ अधिकारियों से सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं। एतद् द्वारा पूर्व निर्गत आदेशों को संशोधित/निम्न निर्दिष्ट सीमा तक अतिक्रमित किया जाता है।

अस्तु सम्यक विचारोपरान्त वन विभाग द्वारा आवंटित आरक्षित वन क्षेत्र की वृक्ष लौटो के अतिरिक्त वृक्षों के अन्य संस्थाओं/स्वामियों के निस्तारण हेतु पूर्व निर्गत निर्देशों/आदेशों को यथा संशोधित/अतिक्रमित करते हुए निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैं:–

1. आरक्षित वन क्षेत्र की आवंटित वृक्ष लौटो, वन विभाग परिसर, मा0 न्यायालय एवं राजभवन परिसर, संवैधानिक संस्थाओं के परिसर स्थित वृक्षों के निस्तारण में रॉयल्टी का भुगतान करते हुए वृक्षों का पातन एवं लौगिंग कार्य विभागीय रूप से किया जायेगा। आरक्षित वन क्षेत्र की आवंटित वृक्ष लौटो के वृक्षों का पातन, लौगिंग कार्य, ऑफरोड ढुलान विभागीय रूप से किया जायेगा किन्तु विशेष परिस्थितियों में आरक्षित वन क्षेत्र से बाहर होने की दशा में वन विभाग परिसर, मा0 न्यायालय एवं राजभवन परिसर, संवैधानिक संस्थाओं के परिसर स्थित वृक्षों का निस्तारण ''खड़े वृक्ष नीलाम /निविदा'' के माध्यम से किया जा सकता है।
2. आरक्षित वन क्षेत्र के वृक्षों, वन विभाग परिसर, मा0 न्यायालय एवं राजभवन परिसर, संवैधानिक संस्थाओं के परिसर से भिन्न अन्य सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/ निजी संस्थाओं/जानमाल/आपदाग्रस्त/विकास कार्य/निजी भू–स्वामियों के वृक्षों के निस्तारण में :–

   (I) वृक्षों की रायल्टी/मूल्य का भुगतान उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा नहीं किया जाए।

   (II) वृक्षों के पातन, कटान, चिरान, लौगिंग कार्य, ऑफरोड ढुलान एवं विक्रय डिपो तक ढुलान कार्यों बावत् **'संचालन व्यय'** की मांग सम्बन्धित आवंटनकर्ता वृक्ष स्वामी/संस्था से की जाएगी और निस्तारण हेतु मुख्यालय पत्रांक नि0 3830/13–1/विकास कार्य दि0 14–09–2016 द्वारा जारी 'स्थायी आदेश' में निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्यावाही अमल में लाई जाए।

   (III) वृक्ष स्वामी/संस्था द्वारा संचालन व्यय के भुगतान में असमर्थता व्यक्त किए जाने और 'खड़े वृक्ष नीलाम/निविदा' प्रक्रिया से निस्तारण हेतु लिखित सहमति दिए जाने की दशा में उक्त वृक्षों का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर ''खड़े वृक्ष नीलाम/निविदा'' प्रक्रिया से किया जा सकता है।

3. **"खड़े वृक्ष नीलाम/निविदा" हेतु प्रक्रिया :-**

(I) सम्बन्धित आवंटनकर्ता वृक्ष स्वामी/संस्था के लिखित आवेदन एवं सहमति और वन विभाग के माध्यम से विक्रय सूची/सक्षम स्तर की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही उक्त नीलाम/निविदा की प्रक्रिया अपनायी जाए।

(II) 'एक प्रस्ताव/एक स्थल/एक प्रकरण' के आधार पर सम्बन्धित वृक्षों की एक लाट (एक जाब) निर्धारित की जाए।

(III) वृक्षों का निस्तारण "खड़े वृक्ष नीलाम/निविदा" प्रक्रिया से किए जाने की अनुमति, गुण-दोष के आधार पर, प्रदत्त करने हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को अधिकृत किया जाता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एक लाट (एक जाब) में आवंटित वृक्षों की **संख्या 1000 (एक हजार) /या एवं मात्रा/ठोस आयतन 500/- (पाँच सौ) घ0मी0** तक की सीमा होने की दशा में होगी उसके ऊपर के प्रकरण महाप्रबन्धक के माध्यम से मुख्यालय को सुसंगत प्रस्ताव सहित सन्दर्भित किए जाएँ जिनपर गुण-दोष के आधार पर मुख्यालय स्तर से अनुमति जारी करने की कार्यवाही होगी।

(IV) सार्वजनिक नीलाम/निविदा हेतु कार्यवाही-तिथि/स्थल निर्धारण सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक/प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा किया जाए।

(V) नीलाम/निविदा तिथि से दो सप्ताह पूर्व नीलाम/निविदा सूचना जारी करते हुए वृहत प्रचार-प्रसार किया जाए और उक्त नीलाम/निविदा सूचना का दो समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाए एवं सूचना सहित विक्रय सूची उत्तराखण्ड वन विकास निगम की अधिकारिक Website: uafdc.in पर भी अपलोड की जाए।

(VI) वृक्षों की बिक्री एवं अनुमोदन कार्यवाही के आशय से गोपनीय अनुमान तैयार कर लिया जाए। गोपनीय अनुमान **(I)** वृक्षों का मूल्य स्थानीय वन वृत्त की रायल्टी दरों पर, **(II)** वन निगम प्रभाग के उपरी व्यय (विगत वित्तीय वर्ष के सापेक्ष 10% की वृद्धि सहित) तथा **(III)** लाभांश 20 % [(I+II) का 20 %] जोड़कर निकाला जाए।

(VII) वन निगम के डिपो या लाट के निकटस्थ सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थान पर सार्वजनिक नीलाम किया जाए। सामान्यतया नीलाम कार्यवाही क्षेत्रान्तर्गत विक्रय प्रभाग के डिपुओं में निर्धारित नीलाम तिथि/स्थल में की जाए किन्तु स्थानीय परिस्थितियों (अभीक्षित क्रेतागणों की सुविधा एवं सुगमता) के आधार पर क्षेत्रीय प्रबन्धक की अनुमति से सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक द्वारा नीलाम कार्यवाही पृथक से की जा सकती है। निविदाएँ सम्बन्धित प्रभाग के कार्यालय में आमंत्रित की जाएँ।

(VIII) क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा नीलाम/निविदा हेतु पर्यवेक्षक नामित किया जाए और जिसके क्रम में पर्यवेक्षक द्वारा नीलाम/निविदा कार्यवाही का पर्यवेक्षण कर सीधे क्षेत्रीय प्रबन्धक को संसूचित किया जाय।

(IX) नीलाम/निविदा हेतु समुचित व्यवस्थाएँ अवश्य कर ली जाए और वन विभाग, पुलिस विभाग स्थानीय प्रशासन को सूचना अवश्य कर दी जाय।

(X) नीलाम/निविदा के दौरान सम्बन्धित वृक्ष स्वामी/संस्था के प्रतिनिधि की उपस्थिति अपेक्षित है एवं प्राप्त विक्रय मूल्य पर बिक्री अनुमोदन हेतु लिखित सहमति आवश्यक है।

(XI) डिपो प्रकाष्ठ के नीलाम/निविदा परिणाम तैयार करने हेतु निर्धारित प्रपत्रों में ही "खड़े वृक्ष नीलाम/निविदा" का परिणाम निर्धारित प्रक्रियानुसार तैयार किया जाए एवं सम्बन्धित कार्यालयों सहित मुख्यालय को भी प्रेषित किया जाए।

(XII) नीलाम/निविदा में प्राप्त लौट के विक्रयमूल्य के अनुमोदन हेतु गोपनीयअनुमान के सापेक्ष्य निम्नवत अधिकृत किए जाते हैं:-

(I) गोपनीय अनुमान का 100 प्रतिशत या उससे ऊपर-	प्रभागीय लौगिंग/विक्रय प्रबन्धक
(II) गोपनीय अनुमान का 80 प्रतिशत या ऊपर-	क्षेत्रीय प्रबन्धक
(III) गोपनीय अनुमान का 50 प्रतिशत या ऊपर-	महाप्रबन्धक

नोट :- गोपनीय अनुमान का 50% से कम विक्रय मूल्य प्राप्त होने पर क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं महाप्रबन्धक द्वारा यथा संस्तुत मुख्यालय स्तर से अनुमोदनार्थ कार्यवाही की जायेगी।

(xiii) विक्रय मूल्य सम्बन्धी समस्त धनराशि करों सहित जमा होने के उपरान्त क्रेता को कार्य करने की अनुमति/कार्यादेश, जिसमें कार्य अवधि का स्पष्ट उल्लेख हो, सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक/विक्रय प्रबन्धक द्वारा जारी किया जाए।

(xiv) वृक्षों का पातन, उत्पादन कार्यवाही के पर्यवेक्षण अनुभाग अधिकारी एवं इकाई अधिकारी/स्केलर (स्केलर आवश्यकतानुरूप एक या एक से अधिक) की तैनाती की जाए जो वन निगम लौटो की भाँति उत्तरदायी होंगे। उक्त कार्मिक प्रचलित लौगिंग प्रपत्रों में अभिलेखन करते हुए निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्यवाही सम्पन्न कराएँ एवं उच्चाधिकारियों को प्रगति आख्या भी प्रस्तुत करें।

(xv) लौट उत्पादन स्थल को ट्रान्जिट डिपो मानते हुए वनोपज निकासी हेतु रवन्ना प्रपत्र 4.5 उपयोग में लाया जाए एवं निकासी वन सरंक्षण अधिनियम के अन्तर्गत दी जाए।

(xvi) लौट के विक्रय से प्राप्त समस्त धनराशि सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक/प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के खाते में जमा की जाए। निर्धारित समयानुसार देयकों/करों आदि के भुगतान का दायित्व सम्बन्धित प्र0 प्रबन्धक का है।

(xvii) नीलाम/निविदा में प्राप्त विक्रय मूल्य धनराशि में से **विक्रय मूल्य का 20 % धनराशि लाभांश एवं सर्विस चार्जेज** के रूप में वन निगम अपने पास रखकर शेष धनराशि का भुगतान सम्बन्धित आवंटनकर्ता/वृक्ष स्वामी/संस्था को चैक/ड्राफ्ट/ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जाए।

4. खड़े वृक्षों के सार्वजनिक नीलाम/निविदा हेतु शर्तें संलग्न है, जिसके अनुरूप कार्यवाही की जाए।
5. पूर्व निर्धारित प्रक्रियानुसार आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत लौट सम्बन्धी बाउन्ड्री रजिस्टर में वन निगम के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम उक्त लौट के वृक्षों की सुरक्षा एवं कार्यो हेतु उत्तरदायी होता है किन्तु आरक्षित वन क्षेत्र से भिन्न अन्य संस्था/निजी स्वामी के वृक्षों की सुरक्षा एवं कार्यो हेतु उ0व0वि0नि0 कार्य प्रारम्भ तिथि से ही उत्तरदायी होगा, इस आशय की स्थिति सम्बन्धित वृक्ष स्वामी/संस्था को पूर्व ही स्पष्ट कर दिया जाय। तद्नुसार उक्त वृक्षों की सुरक्षा एवं लौगिंग कार्यों हेतु सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक सहित लौगिंग कार्मिक उत्तरदायी होंगे।
6. उक्त वृक्षों के निस्तारण बावत् मासिक प्रगति सूचना मुख्यालय पत्रांक एन0-5039/लौगिंग प्रपत्र दि0 11-11-2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार की जाए और प्रत्येक माह क्षेत्रीय स्तर से मुख्यालय को भी प्रेषित की जाए।
7. वृक्ष लौट का निस्तारण निर्धारित समयान्तर्गत प्रक्रियानुसार सम्पन्न कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित आवंटन प्राप्तकर्ता प्रभागीय प्रबन्धक का है। सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा नियमित रूप से अनुश्रवण एवं समीक्षा की जाय। उक्त कार्यवाही में प्रभावी नियंत्रण एवं निर्देशन हेतु सम्बन्धित अपर प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक अधिकृत हैं। यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाय कि इस कार्यवाही में वन निगम को कोई क्षति/हानि न हो, यदि कोई क्षति/हानि होती है तो उसके लिए वृक्ष आवंटन प्राप्तकर्ता प्रभागीय प्रबन्धक उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त आदेश दिनांक 01-01-2017 से लागू किए जाते हैं।

संलग्नक :- खड़े वृक्षों के सार्वजनिक नीलाम/निविदा हेतु शर्तें।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: / / दिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त अपर प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
2. समस्त प्रभागीय प्रबन्धक, (लौगिंग/विक्रय/खनन/ईको-टूरिज्म), उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
3. वरिष्ठ लेखा प्रबन्धक/लेखाधिकारी (मु0)/आन्तरिक सम्परीक्षाधिकारी, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
4. समस्त प्रबन्धक/अधिकारी/प्रभारी आई0टी0 सेल, मुख्यालय, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
5. प्रतिः- (1) शिविर पत्रावली।
   (2) गार्ड फाईल।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

खड़े वृक्षों के सार्वजनिक नीलाम/निविदा हेतु शर्तें

1. खड़े वृक्षों के विक्रय हेतु नीलाम/निविदा कार्यवाही **'जहाँ है जैसा है'** के आधार पर सम्पन्न होगी।
2. नेक जमानत/गेट मनी/प्रवेश शुल्क :-
   (I) नीलाम/निविदा नीलाम में भाग लेने हेतु इच्छुक क्रेता द्वारा नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क हेतु रू0 10,000/- (दस हजार रूपये मात्र) (निविदा मूल्य का 2.5 % या रू0 10,000/- जो भी अधिक हो) का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर/राष्ट्रीय बचत पत्र जो सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक/प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक या प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पद नाम बंधक/निरूपित हो, जमा करना अनिवार्य है। नीलाम हेतु प्रवेश शुल्क नगद भी जमा की जा सकती है। जिसकी मूल धनप्राप्ति रसीद नीलाम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
   (II) उच्चतम प्राप्त नीलाम/निविदा सम्बन्धी नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क, जो विक्रय मूल्य सम्बन्धी धनराशि देयकों के विरूद्ध समायोजित हो सकेगी, को रोककर अन्य क्रेताओं की उक्त धनराशि यथाशीघ्र विलम्बतम 3 (तीन) दिन के अन्दर वापस कर दी जायेगी या क्रेता के लिखित अनुरोध पर अन्य लौट के देयकों के विरूद्ध समायोजित की जा सकेगी।
3. इच्छुक क्रेता द्वारा अपने नाम, पता आदि के प्रमाणन हेतु निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है :-
   (I) व्यापार कर खाता संख्या प्रमाण पत्र (II) पैन कार्ड एवं (III) आधार कार्ड और (IV) राशनकार्ड/वोटर कार्ड/वाहन चालक अनुज्ञा एवं अन्य पहचान पत्र जो पहचान पत्र के रूप में मान्य हो, की स्व सत्यापित छायाप्रति।
4. सम्बन्धित लौट की विक्रय सूची में लौट की स्थिति, वृक्षों का विवरण, कार्य अवधि अंकित है। इच्छुक क्रेता को चाहिए कि नीलाम/निविदा में भाग लेने से पूर्व लाट के वृक्षों का भली-भाँति निरीक्षण कर लें। यदि कोई भिन्नता हो तो क्रेता यथा स्थिति पुष्टि उपरान्त ही नीलाम/निविदा में भाग लेवें। नीलाम/निविदा स्वीकार होने के पश्चात लाट की मात्रा-गुणवत्ता के सम्बन्ध में क्रेता का कोई प्रत्यावेदन/क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा/मान्य नहीं होगा और प्रथम दृष्टया ही अमान्य कर दिया जाएगा।
5. (I) नीलाम में लाट की बोली स्वीकार होने के तुरन्त बाद उसी दिन क्रेता को उस लाट की कीमत का 10 प्रतिशत जमानत वन निगम के अधिकृत कर्मचारी के पास जमा करके रसीद लेनी होगी।
   (II) निविदा की दशा में उच्चतम निविदा सूचना प्रेषित किए जाने की तिथि से (सूचना प्रेषित किए जाने की तिथि छोड़कर) 7 (सात दिन) के अन्दर लौट की कीमत का 10 प्रतिशत जमानत जमा करना अनिवार्य है।
   (III) यदि क्रेता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत जमानत नहीं जमा की जाती है तो तत्सम्बन्धी जमा, नेक जमानत/गेट मनी/प्रवेश शुल्क जब्त कर लिया जाएगा और लौट के विक्रय निस्तारण हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
   (IV) लौट का कार्य संतोषजनक निर्धारित प्रक्रियानुसार सम्पन्न किए जाने के उपरान्त ही जमा जमानत की वापसी/समायोजन होगा।
6. नीलाम/निविदा प्रपत्र में यथानिर्दिष्ट क्रेता को हस्ताक्षर करने होंगे।
7. बिक्री का अनुमोदन वन निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक/डिपो अधिकारी/प्रतिनिधि द्वारा इसकी सूचना क्रेता को पंजीकृत डाक/कोरियर के माध्यम से क्रेता के पते पर भेजी जायेगी। डाक में विलम्ब की जिम्मेदारी वन निगम की नहीं होगी।
8. नीलाम/निविदा की **तिथि से 30 (तीस दिन)** के अन्दर (नीलाम/निविदा की तिथि छोड़कर) यदि लाट का अनुमोदन क्रेता को सूचित नहीं किया जाता है तो क्रेता लाट क्रय करने को बाध्य नहीं होगा एंव जमा जमानत की वापसी/समायोजन हेतु क्रेता स्वतंत्र होगा।
9. क्रेता को लाट का सम्पूर्ण विक्रय मूल्य, व्यापार कर, आयकर, मण्डी शुल्क (शासन द्वारा निर्धारित दरों पर) आदि देयक अनुमोदन सूचना जारी होने के (जारी तिथि छोड़कर) **20 दिन** के भीतर जमा करना होगा। विशेष परिस्थितियों में अवशेष विक्रय मूल्य पर 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क के साथ **अधिकतम 10 (दस दिन)** दिनों की मियाद वृद्धि अनुमन्य होगी। मियाद वृद्धि, समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा दी जा सकेगी। यदि मियाद वृद्धि की अवधि में भी समस्त देयक जमा नहीं किया जाता है तो लाट की बिक्री स्वतः निरस्त हो जायेगी और क्रेता की जमानत जब्त हो जायेगी और लौट का निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
10. लाट का विक्रय मूल्य, व्यापार कर, आयकर मण्डी शुल्क, स्टाम्प शुल्क आदि देयक सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक के पक्ष में बने बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर RTGS/NFET/E-Paymen द्वारा ही स्वीकार होगा। सीमान्त समायोजन हेतु अधिकतम रू0 3000/- नगद जमा हो सकते हैं।

11. समस्त देयकों की अदायगी हो जाने पर कार्यादेश प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा जारी किया जाएगा जो दस्ती/डाक द्वारा भेजा जाएगा। कार्यादेश जारी होने की तिथि के **10 दिन के अन्दर** (जारी भेजने की तिथि छोड़कर) क्रेता को लाट में कार्य आरम्भ करना होगा। कार्य आरम्भ करने से 03 दिन पूर्व उसे वन निगम के सम्बन्धित अधिकारी (जिसका उल्लेख कार्यादेश में होगा) को लिखित रूप से सूचित करना होगा तथा वन निगम के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कार्य आरम्भ करना होगा।
12. लौट में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व क्रेता को **रू0 100/ के स्टाम्प** पेपर में अनुबन्ध करना होगा। नीलाम/निविदा शर्तें भी अनुबन्ध का भाग होंगी।
13. यदि क्रेता कार्यादेश निर्गत होने के **10 (दस) दिनों** के अन्दर कार्य आरम्भ नहीं करता है तो लाट के विरूद्ध जमा विक्रय मूल्य आदि समस्त धनराशि सहित स्वतः जब्त हो जायेगी तथा लाट का निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
14. क्रेता केवल चिन्हित वृक्षों का ही पातन/कटान करेगा। यदि किसी वृक्ष के विषय में सन्देह हो तो क्रेता उसके निराकरण हेतु वन निगम के सम्बन्धित इकाई अधिकारी को लिखित आवेदन करेगा। निराकरण होने के पश्चात ही ऐसे वृक्ष का पातन/कटान करेगा। यदि क्रेता चिन्हित वृक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य वृक्ष का पातन/कटान करेगा तो उसे इसके लिए निर्धारित अर्थ दण्ड देना होगा। यदि लाट में कार्य के समय किसी भी समय यह ज्ञात होगा कि क्रेता द्वारा कहीं भी अवैध पातन/कटान किया है तो लाट की बिक्री तत्काल निरस्त कर दी जाएगी और क्रेता द्वारा लाट हेतु समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी। चिन्हित समस्त छपे वृक्षों एवं कटे हुए प्रकाष्ठ/जलौनी पर वन निगम का स्वामित्व हो जायेगा। इसके अतिरिक्त वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।
15. लाट के क्रेता को वृक्षों का पातन/कटान, आवश्यकतानुसार लापिंग आदि करके इस तरह से करना होगा ताकि लाट के समीपस्थ बिजली लाइन, टेलीफोन लाइन या भवनों आदि को क्षति न हो। लाट में काटे जा रहे वृक्षों से मार्ग पर चलने वाले वाहनों एवं राहगीरों आदि की सुरक्षा हेतु (आवश्यकतानुसार) लाल झण्डी का प्रयोग क्रेता को करना होगा। यदि लाट में वृक्षों के कटान से किसी व्यक्ति अथवा किसी सम्पत्ति की कोई क्षति होगी तो इसकी प्रतिपूर्ती क्रेता को करनी होगी।
16. क्रेता द्वारा नियमानुसार सुसंगत नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए लाट में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा।
17. क्रेता को लाट से माल निकासी वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन निगम के निर्धारित प्रपत्र 4.5 में वन निगम के अधिकृत कर्मचारी द्वारा दी जायेगी। निकासी रवन्ना पर क्रेता अथवा क्रेता के अधिकृत प्रतिनिधि एवं वाहन चालक को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। निकासी नियमानुसार सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच दी जायेगी। निकासी के समय नियमानुसार अभिवहन शुल्क भी क्रेता को देना होगा, निकासी हेतु लाट स्थल को ही ट्रान्जिट डिपो माना जायेगा।
18. विक्रय सूची/कार्यादेश में अंकित समय सीमा-निर्धारित कार्य अवधि के अन्तर्गत क्रेता को लाट (जाब) के सभी छपे चिन्हित वृक्षों का पातन/कटान एवं उत्पादित प्रकाष्ठ जलौनी आदि की निकासी करनी होगी। निकासी से पूर्व प्रकाष्ठ के बोटो पर वन निगम अपने स्वामित्व का घन चिन्ह लगायेगा। यदि क्रेता निर्धारित समय के अन्दर पातन/कटान व उत्पादित हुए प्रकाष्ठ/जलौनी की निकासी नहीं करेगा तो क्रेता के लिखित आवेदन पर उसे 15 दिनों का अतिरिक्त समय अनुमन्य हो सकता है, जिसके लिए क्रेता को लाट के कुल विक्रय मूल्य का **0.10 प्रतिशत** प्रतिदिन की दर से अवधि विस्तार शुल्क देना होगा। यदि इन अतिरिक्त 15 दिनों में भी क्रेता लाट का कार्य पूर्ण नहीं करता है तो छपे वृक्षों एवं उत्पादित समस्त प्रकाष्ठ/जलौनी पर वन निगम का स्वामित्व हो जाएगा जिसका निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
19. लाट की कार्यसमाप्ति के बाद क्रेता द्वारा इसकी लिखित सूचना सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक को दी जाएगी। तदुपरान्त नियमानुसार कार्य सम्पन्न होने की दशा में क्रेता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम सहित सम्बन्धित सुसंगत नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
20. क्रेता पर किसी भी प्रकार की बकाया वसूली क्रेता से भू-राजस्व के रूप में की जा सकती है।
21. लौट का कार्य निर्धारित प्रक्रियानुसार एवं संतोषजनक सम्पन्न होने के उपरान्त जमा जमानत वावस/समायोजित की जाएगी।
22. क्रेता एवं प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक के मध्य विवाद उत्पन्न होने पर सम्बन्धित **"क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तराखण्ड वन विकास निगम"** पंच निर्णायक होंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा जो दोनों पक्षों का मान्य होगा।

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम